भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 209
जिसका उत्तर शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

उच्चतर न्यायालयों में हिंदी को बढ़ावा

209. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ख) क्या भविष्य में उच्चतम न्यायालय में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु कोई नई योजना प्रस्तावित है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने न्यायिक निर्णय जारी करने में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) न्यायालयों में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का संबंध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1)(क) में कहा गया है कि इन न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी । तथापि, संविधान के अनुच्छेद 348(2) में उपबंधित है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा । इसके अतिरिक्त, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 यह कथन करती है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, उस राज्य की राजभाषा या हिंदी का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किए गए या पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंगेजी भाषा से भिन्न) किसी ऐसी भाषा में पारित किया गया या किया गया है, वहां उच्च न्यायालय के प्राधिकार के अधीन जारी अंगेजी भाषा में उसका अनुवाद भी, उसके साथ संलग्न होगा ।

कैबिनेट समिति के निर्णय तारीख 21.05.1965 में यह निर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के उपयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अधीन वर्ष 1950 में प्राधिकृत किया गया था । कैबिनेट समिति के यथा उल्लिखित तारीख 21.05.1965 के विनिश्चय के पश्चात, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में हिंदी के उपयोग को प्राधिकृत किया गया था ।

जैसा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचित किया गया है, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री अभय एस. ओका की अध्यक्षता में ए.आई. टूल के उपयोग द्वारा स्थानीय भाषाओं में ई-एससीआर निर्णयों के अनुवाद हेतु ए.आई. सहायक विधिक अनुवाद सलाहकार समिति का गठन किया है । तारीख 02-12-2023 तक ए.आई. अनुवाद टूल के उपयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय के 31,184 निर्णयों का 16 भाषाओं, अर्थात् हिन्दी (21,908), पंजाबी (3,574), कन्नड (1,898), तमिल (1,172), गुजराती (1,110), मराठी (765), तेलुगू (334), मलयालम (239), ओड़िया (104), बंगला (39), नेपाली (27), उर्दू (06), असमिया (05), गारो (01), खाशी (01), कोंकणी (01) में अनुवाद किया गया है । तारीख 02-12-2023 तक, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के 16 भाषाओं में किए गए अनुवाद के ब्यौरे उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट e-SCR पोर्टल पर उपलब्ध हैं ।

सभी उच्च न्यायालयों में, संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में इसी प्रकार की एक समिति गठित की गई है । अभी तक, e-SCR निर्णयों के 16 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय कर रहा है । उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 4,983 निर्णयों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और उच्च न्यायालयों द्वारा अपनी संबंधित वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ।

****